

प्रति,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय

जिला- महासमुन्द (छ0ग0)

विषय:- मेरे घर पर जबरन घुसकर मारपीट अश्लील गाली गलौज, बदसलूकी एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में ग्राम सरपंच भरतलाल डड़सेना, पंच बलिराम यादव, प्रहल्लाद पटेल, मोखरसाय भार, एवं भगताराम ताण्डी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के संबंध में थाना प्रभारी बसना के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु थाना प्रभारी बसना द्वारा आज दिनांक तक उचित कार्यवाही नहीं किया गया है, उक्त संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही एवं मुझे न्याय दिलाये जाने बाबत आवेदन।

महोदय,

यह कि मैं, रनसाय भार ग्राम- कुड़ेकेल, पटवारी हल्का नंबर- 36, रा0नि0मं0- बसना, तहसील- बसना, जिला- महासमुन्द छ0ग0 का मूल निवासी हूँ। तथा वर्तमान में ग्राम कोटवार के पद पर पदस्थ हूँ।

यह कि मेरे द्वारा दिनांक- 08/10/2026 को थाना प्रभारी बसना को लिखित आवेदन कर आरोपीगण ग्राम सरपंच भरतलाल डड़सेना, पंच बलिराम यादव, प्रहल्लाद पटेल, मोखरसाय भार, श्यामबाई भार, डेहरिन बाई भार, दुकलीबाई ताण्डी, भगताराम ताण्डी के द्वारा किये गये अनुचित कृत्य के विरुद्ध उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया था, तथा थाना प्रभारी बसना, द्वारा त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था, किन्तु आज दिनांक तक थाना प्रभारी बसना द्वारा कोई ठोस नहीं होने से आरोपीगण के द्वारा नियमित रूप से मुझे एवं मेरे परिवार के सदस्यों को शारिरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके संबंध में पुनः थाना प्रभारी बसना को लिखित आवेदन दिनांक- 14/10/2026 को प्रस्तुत किया गया, तथा मेरे उपर घटित घटना को किस व्यक्ति द्वारा, किस दिनांक को, तथा किस समय घटना घटित हुई, सभी वास्तु स्थिति जाँचा गया, और मेरे द्वारा घटित घटनाओं को कम से बताया गया, किन्तु उक्त सभी घटनाओं को सुनकर एवं देखकर भी थाना बसना में पदस्थ सिपाहियों द्वारा मुझे दिन भर थाना में बैठा दिया गया, तथा दुबारा थाना मत आने की धमकी दी गई, तथा आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है, जिससे क्षुब्ध होकर आपके समक्ष मेरे द्वारा उचित न्याय दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि आरोपीगण अत्यधिक धन बल एवं प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण आरोपीगण द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर भी आरोपीगण के उपर कोई कार्यवाही नहीं किया जाना कानून का मजाक है।

यह कि आरोपीगण के विरुद्ध मेरी कोटवारी भूमि एवं मेरे द्वारा बनाया गया घर जो कि आबादी भूमि पर स्थित है, उक्त दोनो भूमि के संबंध मामला राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय में लंबित है, जिसकी सूचना थाना प्रभारी को बताया गया है, मौके पर थाना प्रभारी द्वारा भूमि संबंधी मामला है कहकर आरोपीगण को कानून का उल्लंघन करने पर भी बचाया जा रहा है।

अतः श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय महासमुन्द छ0ग0 से करबद्ध निवेदन है कि, इस मामले को संज्ञान में लेकर आरोपीगण ग्राम सरपंच भरतलाल डड़सेना, पंच बलिराम यादव, प्रहल्लाद पटेल, मोखरसाय भार, श्यामबाई भार, डेहरिन बाई भार, दुकलीबाई ताण्डी, भगताराम ताण्डी के द्वारा किये गये अनुचित कृत्य के विरुद्ध उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें।



0/c

रनसाय भार

आवेदक

रनसाय भार, ग्राम- कुड़ेकेल

